

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०-5/निदे०-(प्री मैट्रीक)-26-06/2015-

05

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 07.05.18

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम के बजट प्रावधान के अन्तर्गत संकल्प सख्यां-3098 दिनांक-20.12.2017 के आलोक में बिहार राज्य के 38 जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति, मुसहर/भुईया, उच्च विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति मद में ₹39161.28 लाख (तीन सौ एकानवे करोड़ एकसठ लाख अठाईस हजार रुपये) एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति मद में ₹8552.72 लाख (पचासी करोड़ बावन लाख बहत्तर हजार रुपये) अर्थात् कुल ₹47714.00 लाख (चार सौ सतहत्तर करोड़ चौदह लाख रु०) मात्र व्यय करने की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- (i) संलग्न विवरणी-1 में अनु०जाति के लिए भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के राज्य स्कीम मांग सं०-44 के अंतर्गत आय-व्ययक शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष में भारित होंगे:-

(क) 197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-0101-छात्रवृत्ति/वजीफा -- विषय शीर्ष-0101.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन-(विपत्र कोड-44-2225011970101),

(ख) 198-ग्राम पंचायतों को सहायता-0101-छात्रवृत्ति/वजीफा-विषय शीर्ष-0101.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन-(विपत्र कोड 44-2225011980101),

(ग) 277-शिक्षा-0107-शिक्षा- विषय शीर्ष-0107.34.01- छात्रवृत्ति/वजीफा,

(विपत्र कोड-44-2225012770107),

(घ) 277-शिक्षा-0319-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति-विषय शीर्ष-0319.34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा-

(विपत्र कोड- 44-2225012770319), पी०एफ०एम०एस० कोड-9487)

(ii) संलग्न विवरणी-2 में अनु० जन जाति के लिए भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के राज्य स्कीम मांग सं०-44 आय-व्यय शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष में भारित होंगे :-

(क) 197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-0101-छात्रवृत्ति/वजीफा- विषय शीर्ष-0101.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन-(विपत्र कोड-44-2225021970101)

(ख) 198-ग्राम पंचायतों को सहायता-0101-छात्रवृत्ति/वजीफा-विषय शीर्ष-0101.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन-(विपत्र कोड-44-2225021980101)

(ग) 277-शिक्षा-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-0101.34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा-

(विपत्र कोड-44-2225022770101),

3- इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प सख्यां-3098 दिनांक-20.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

4- शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि निकासी कर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में राशि अन्तरण करेंगे। छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

5-प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत राशि का व्यय विभागीय संकल्प सं0-4061 दिनांक 16.05.2016, संकल्प संख्या-3098 दिनांक 20.12.2017 एवं संकल्प संख्या-386 दिनांक 15.02.2018 के आलोक में तथा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निदेश के आलोक में किया जायेगा ।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का भुगतान DBT के माध्यम से जाएगा। जिला स्तरीय छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में संबंधित संस्थान के बैंक खाते में अनिवार्य शुल्क की राशि एवं संबंधित छात्र/छात्रा के बैंक खाता में अनुरक्षण भत्ता की राशि का अन्तरण RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा ।

6- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।


7-स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध योजना उदव्यय एवं बजट के अर्न्तगत है।

8-इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-5/निदे0-(प्री मैट्रिक)-26-06/2015- के पृ0- /टि0 पर प्राप्त है।


9- इस प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

10- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(प्रेम सिंह मीणा)  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक- 5/निदे0-(प्री मैट्रिक)-26-06/2015- 05 पटना, दिनांक- 07.05.18  
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक- 5/निदे0-(प्री मैट्रिक)-26-06/2015- 05 पटना, दिनांक- 07.05.18  
प्रतिलिपि सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक- 5/निदे0-(प्री मैट्रिक)-26-06/2015- 05 पटना, दिनांक- 07.05.18  
प्रतिलिपि अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0-5(निदे0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक- 5/निदे0-(प्री मैट्रीक)-26-06/2015- 05 पटना, दिनांक- 07.05.18  
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय को  
सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 5/निदे0-(प्री मैट्रीक)-26-06/2015- 05 पटना, दिनांक- 07.05.18  
प्रतिलिपि- सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई  
दिल्ली/सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 5/निदे0-(प्री मैट्रीक)-26-06/2015- 05 पटना, दिनांक- 07.05.18  
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित  
जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

विवरण-1.

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम अन्तर्गत अनु0जाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर, उच्च विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय, मुसहर, भूईयां छात्रवृत्ति मद में पूरे वर्ष के लिए स्वीकृत राशि की विवरणी ।

(राशि लाख में)

क्रमांक	राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का विवरणी	योजना का नाम	लघु शीर्ष	विपत्र कोड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	0319.34.01	छात्रवृत्ति/वजीफा	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	277-शिक्षा	44-2225012770319	5300.00
2	0101.31.06	सहायक अनुदान-गैर वेतन	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग-I से X)	197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	44-2225011970101	7710.73
3	0101.31.06	सहायक अनुदान-गैर वेतन	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग-I से X)	198-ग्राम पंचायतों को सहायता	44-2225011980101	13366.00
4	0107.34.01	छात्रवृत्ति/वजीफा	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग-I से X)	277-शिक्षा	44-2225012770107	11718.55
5	0101.31.06	सहायक अनुदान-गैर वेतन	मुसहर/भूईयां (वर्ग-I से VI)	198-ग्राम पंचायतों को सहायता	44-2225011980101	1025.00
6	0107.34.01	छात्रवृत्ति/वजीफा		277-शिक्षा	44-2225012770107	41.00
	<b>कुल योग</b>					<b>39161.28</b>

(तीन सौ एकानवे करोड़ एकसठ लाख अठाईस हजार रु0) मात्र ।

पत्रांक-25 दिनांक-07.05.18 का अनुलग्नक

  
सरकार के सचिव

विवरणी-2.

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम अन्तर्गत अनु0जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर, उच्च विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति मद में पूरे वर्ष के लिए स्वीकृत राशि की विवरणी ।


(राशि लाख में)

क्रमांक	राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का विवरणी	योजना का नाम	लघु शीर्ष	विपत्र कोड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	0101.34.01	छात्रवृत्ति/वजीफा	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	277-शिक्षा	44-2225022770101	500.00
2	0101.31.06	सहायक अनुदान-गैर वेतन	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग-I से X)	197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	44-2225021970101	1438.00
3	0101.31.06	सहायक अनुदान-गैर वेतन	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग-I से X)	198-ग्राम पंचायतों को सहायता	44-2225021980101	5317.12
4	0101.34.01	छात्रवृत्ति/वजीफा	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग-I से X)	277-शिक्षा	44-2225022770101	1297.60
	<b>कुल योग</b>					<b>8552.72</b>

(पचासी करोड़ बावन लाख बहत्तर हजार रु0) मात्र।

पत्रांक-05 दिनांक-07.05.18 का अनुलग्नक

allotment-plan-stipend-17-18

  
सरकार के सचिव